भारत सरकार, गृह मन्त्रालय
Government of India, Ministry of Home Affairs
निदेशालय जनगणना कार्य, हिमाचल प्रदेश
Directorate of Census Operations, Himachal Pradesh
2011
दूरभाष/Tele.: 0177-2651 419, 2651 462
टैलीफैक्स/Telefax : 0177-2651 419
तार/Telegram : हिम-जनगणना/Him-Census
ई-मेल/E-mail : dco-him.rgi@censusindia.gov.in
सी.जी.ओ. कम्पलैक्स, हिमाद्रि खण्ड, लौंगवुड, शिमला-171 001
C.G.O. Complex, Himadri Block, Longwood, Shimla-171 001

डी.सी.ओ.एच.पी.26/2015-II

दिनांक :

निविदा आमंत्रण पत्र

सेवा में,

.....

.....

विषय-: जनगणना कार्य निदेशालय हिमाचल प्रदेश ,शिमला द्वारा सरकारी कार्य के लिए टैक्सी/वाहन इत्यादि की दरों हेतु निविदा आमंत्रण ।

महोदय ,

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से जनगणना कार्य निदेशालय, हिमाचल प्रदेश, शिमला, द्वारा सरकारी कार्य के लिए किराये पर टैक्सी/वाहन इत्यादि उपलब्ध कराने हेतु मुहर बन्द निविदाऐं आमंत्रित की जाती है ।

अनुबन्ध के अंतर्गत सामान्य कार्य क्षेत्र निम्नलिखित है -:

1. इस कार्यालय के आदेशानुसार बताये गये निश्चित समय एवं अवधि के लिये आवश्यकता अनुसार वाहन उपलब्ध करनें होगें।
2. अनुबंध के अंतर्गत वाहन के खराब होने की स्थिति में मरम्मत आदि की जिम्मेदारी सम्बंधित फर्म की होगी तथा वाहन खराब होने पर वैकल्पिक वाहन तत्काल उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी भी फर्म की होगी ।
3. वाहन हेतु पैट्रोल आदि पर फर्म द्वारा ही व्यय किया जायेगा।
4. ड्यूटी के समाप्त होने पर वाहन का उपभोग करने वाले अधिकारी अथवा कार्यालय द्वारा नियुक्त कर्मचारी से ड्यूटी स्लिप पर कुल तय की गई दूरी को किमी में तथा आवागमन एवं प्रस्थान का समय सत्यापित कराना होगा। ड्यूटी स्लिप, सत्यापित न होने की स्थिति में भुगतान नहीं किया जायेगा।
5. वाहन की लॉग बुक/लॉग कार्ड प्रतिदिन अनिवार्य रूप से वाहन चालक को नियमानुसार भरना होगा एवं सम्बंधित अधिकारी से प्रतिदिन हस्ताक्षर लिया जाना होगा व उक्त लॉग बुक/लॉग कार्ड मूलत: कार्यालय में ड्यूटी स्लिप के साथ जमा करना होगा जोकि शासकीय अभिलेख होगा।
6. बिल की दो प्रतियों एवं लॉग बुक/लॉग कार्ड के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिये। बिल का भुगतान चेक के माध्यम से किया जायेगा। नियमानुसार आयकर की कटौती कर भुगतान किया जायेगा तथा वाहन मालिक अन्य टैक्स/सेवा शुल्क आदि के भुगतान के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा।

निविदा की निबंधन एवं शर्तें इस प्रकार हैं :

1. निविदाऐं , उप-निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, हिमाद्री खण्ड, सी.जी.ओ .कॉम्पलैक्स, लौंगवुड शिमला 1-के नाम दिनांक 17/08/2015 को 12:00 बजे तक सील बन्द लिफाफे में पहुँच जानी चाहिए । निर्धारित समय सीमा के बाद प्राप्त होने वाली निविदा तथा फैक्स /ई-मेल से प्राप्त हुई निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। निदेशालय किसी भी कारण वश निविदा (Bid) के अप्राप्त या देरी से प्राप्त होने पर जिम्मेवार नहीं होगा ।
2. निविदाऐं, उसी दिन, दिनांक 17/08/2015 को 12:30 बजे इस कार्यालय की गठित कमेटी द्वारा खोली जाऐगीं ।
3. निविदा आमंत्रण पत्र में दी गई शर्तों को ठीक से अधय्यन करने के उपरांत संतुष्ठ होने पर ही कोटेशन इस कार्यालय को प्रस्तुत करें।
4. निविदाऐं, गठित कमेटी द्वारा खोलने के दौरान जिस फर्म की राशि न्यूनतम होगी उसी को सफल निविदाकार माना जाएगा| अत: रेट एकमुश्त भारतीय मुद्रा मे ही कोट करें । उद्धरित दर सभी कर /वैट इत्यादि सहित होनी चाहिए ।
5. सभी फर्मों द्वारा निविदाऐं संलग्न निर्धारित प्रोफॉर्मा में प्रस्तुत करनी होगी ।
6. दरें निविदा हेतु निर्धारित प्रपत्र के अनुसार Non AC Vehicle व AC Vehicle की सूची में कॉलम संख्या 3 से 6 तक सभी कॉलमों में कोट करना अनिवार्य है।

7. उप-निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, हिमाचल प्रदेश किसी भी निविदा को या सभी निविदाओं को कोई भी कारण बताए बिना स्वीकार व अस्वीकार करने का अधिकार अपने पास आरक्षित रखते हैं ।
8. निविदा दरों के अलावा किसी भी अन्य तरह के खर्चे अथवा करों इत्यादि का भुगतान इस कार्यालय द्वारा नहीं किया जाएगा । सूचना /स्पष्टीकरण यदि कोई हो तो वह श्री आशीष चौहान, सहायक निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, हिमाद्री खण्ड, सी.जी.ओ .कॉम्पलैक्स, लौंगवुड शिमला - 1, से व्यक्तिगत रुप से या दूरभाष (0177 - 2651419)पर सम्पर्क कर प्राप्त कर सकतें है।
9. अग्रिम धन (EMD) के रूप में 2000/- रूपये का डिमाण्ड ड्राफ्ट **"सहायक निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, हिमाचल प्रदेश, शिमला"** के नाम से जो किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में देय अनिवार्य है ।
10. स्वीकृत निविदादाता को धरोहर राशि के रूप में राष्ट्रीकृत बैक के चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा मु.10,000/- रूपये जोकि **"सहायक निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, हिमाचल प्रदेश, शिमला"** के नाम पर देय हो जमा करवाना होगा।
11. अनुबन्ध हेतु कार्यालय द्वारा तैयार किए गए प्रफोर्मा में अनुबन्धित फर्म को हस्ताक्षर करने होगें ।
12. फर्म द्वारा अनुबन्ध, हस्ताक्षर दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रभावशील होगा।
13. फर्म द्वारा वर्ष के तहत किए गए कार्य से संतुष्ठ होने पर, उप-निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, हिमाद्री खण्ड, सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स, लौंगवुड शिमला-1 अनुबन्ध को आगामी वर्ष हेतु भी विस्तार करने का अधिकार रखते हैं।
14. यदि अनुबन्ध के उपरांत अनुबन्धित फर्म द्वारा समय पर वाहन उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो जमा धरोहर राशि (मु. 10,000/-) जब्त कर ली जाएगी।
15. केवल रजिस्टर्ड फर्म की निविदा ही स्वीकार की जायेगी। निविदा हेतु निर्धारित प्रपत्र के साथ रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र भी इस कार्यालय को प्रस्तुत करें।
16. फर्म को सरकारी कार्यालय में किये गये काम का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना वांछित है ।
17. पिछले दो वर्षो के Income tax Clearance Certificate की प्रति भी निविदा हेतु निर्धारित प्रपत्र के साथ संलग्न भेंजे।
18. वाहन के समस्त कागजात परिवहन विभाग के नियमानुसार होना अनिवार्य है। वाहन का रोड टैक्स/ बीमा/ सेवा एवं अन्य सभी प्रकार के शुल्क आदि का भुगतान वाहन मालिक द्वारा किया जायेगा। वाहन का रोड टैक्स व बीमा(कम्प्रेहैंसिव) अघतन होना चाहिए।
19. अनुबंध के समय उपलब्ध करवाये जाने वाले वाहन के समस्त दस्तावेजों जैसे रजिस्ट्रेशन, बीमा आदि की फोटोकापी कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
20. अनुबन्धित फर्म द्वारा प्रशिक्षित एवं अनुभवी ड्राईवर ही स्वीकार किया जायेगा ।
21. वाहन चालक के पास वैध ड्राईविंग लाईसेंस तथा लगभग तीन साल का ड्राईविंग अनुभव होना चाहिये।
22. प्रत्येक कार्य पूर्ण होने पर ड्राईवर को गाडी के किलोमीटर चलने सम्बंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
23. ड्राईवर के पास टैलीफोन सुविधा होनी चाहिये ताकि आवश्यकता पडने पर ड्राईवर से सम्पर्क किया जा सके।
24. वाहन चालक ड्यूटी के समय वर्दी में रहेगा जिसे वाहन मालिक द्वारा वहन किया जायेगा। वर्दी स्वच्छ होनी चाहिये।
25. अनुबन्धित फर्म को सरकारी अवकाश के दिन भी यदि कार्यालय को टैक्सी इत्यादि की आवश्यक्ता है तो समय पर मांगे गये वाहन को समयानुसार उपलब्ध करवाना होगा।
26. किये गये कार्य का भुगतान मासिक आधार पर चेक के माध्यम से किया जायेगा।
27. वाहन शिमला में अथवा सरकारी दौरा हेतु हिमाचल प्रदेश के किसी भी जिले के शहर में जाने पर, दी गई दरों के अतिरिक्त अन्य भुगतान कार्यालय द्वारा नहीं किया जायेगा।
28. फर्म द्वारा उपलब्ध किया गया वाहन अच्छी स्थिति में होना चाहिए। यह इस कार्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि उपलब्ध किया गया वाहन कार्य हेतु उपयुक्त है अथवा नहीं। यदि यह कार्यालय वाहन को स्वीकार नहीं करता तो फर्म को उपयुक्त वाहन तुरंत उपलब्ध करवाना होगा।
29. दुर्घटना इत्यादि होने की स्थिति में पूर्ण जिम्मेदारी फर्म की होगी। वाहन की रिपेयरिंग एवं कानूनी मामलों में कार्यालय कोई हस्ताक्षेप नहीं करेगा।
30. किन्ही भी कारणों से वाहन का चालान इत्यादि होने की स्थिति में फर्म की यह जिम्मेदारी होगी की वह चालान का भुगतान करें। यह कार्यालय किसी भी तरह के चालान का भुगतान नहीं करेगा।
31. ड्राईवर के खान पान एवं रहनें इत्यादि की व्यवस्था एवं खर्चे की जिम्मेदारी भी फर्म की होगी।
32. यह निविदा, स्थानांतरणीय नहीं है अत: अनुबन्ध होने के उपरांत किसी अन्य फर्म को निविदा/अनुबंधित कार्य स्थानांतरित नहीं की जा सकती है।
33. कार्यालय किये गये अनुबंध को बिना कोई कारण बताये सात दिन (7 दिन) पहले पूर्व सूचना देकर समाप्त करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है।
34. कार्य में किसी भी प्रकार का व्यवधान/विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में उप निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय शिमला का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
35. किसी भी विवाद या भिन्नता के मामले में शिमला क्षेत्राधिकार होगा।

36. निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ निविदा हेतु निर्धारित प्रपत्र पर दर कोट करें दस्तावेज प्रस्तुत न करने की स्थिति में अग्रिम धन (EMD) के रूप में 2000/- रुपए का डिमाण्ड ड्राफ्ट जब्त कर लिया जायेगा अत: यह सुनिश्चित कर ले कि आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज उपलब्ध है अथवा नहीं:-

(i) पिछले दो वर्षो के इनकम टैक्स रिटर्नस की प्रतियां।
(ii) फर्म का रजिस्ट्रेशन सम्बंधित प्रमाण पत्र की प्रति ।
(iii) सरकारी कार्यालय में किये गये कार्य सम्बंधित प्रमाण पत्र।
(iv) पैन न. की प्रति।
(v) (EMD) के रूप में 2000/- रुपए का डिमाण्ड ड्राफ्ट।

37. निम्नलिखित दस्तावेज अनुबंध करने के उपरांत प्रस्तुत करने होगें;-

(i) ड्राईवर का ड्राईविंग लाईसेंस की फोटो प्रति तथा तीन साल का अनुभव प्रमाण पत्र।
(ii) वाहन के आवश्यक दस्तावेजों की प्रति।
(iii) धरोहर राशि के रूप में राष्ट्रीकृत बैंक के चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा मु.10,000/- रूपये।
(iv) लॉग बुक ।

भवदीय,

(जसपाल सिंह)
उपनिदेशक,
जनगणना कार्य निदेशालय,
भारत सरकार, गृह मंत्रालय,
सी.जी.ओ .काम्पलेक्स, हिमाद्री खण्ड,लौंगवुड,
शिमला, हिमाचल प्रदेश- 171001

31 JUL 2019

प्रतिलिपि .1 :WEB.Cell, ORGI, New Delhi को इस आशय से ORGI Web Site में upload करवाने की कृपा करें|

(जसपाल सिंह)
उपनिदेशक,
जनगणना कार्य निदेशालय,
भारत सरकार, गृह मंत्रालय,
सी.जी.ओ .काम्पलेक्स, हिमाद्री खण्ड,लौंगवुड,
शिमला, हिमाचल प्रदेश - 171001

निविदा हेतु निर्धारित प्रपत्र

प्रेषक:

.....
.....
.....

सेवा में,

उपनिदेशक,
जनगणना कार्य निदेशालय,
भारत सरकार, गृह मंत्रालय,
सी.जी.ओ .काम्पलैक्स, हिमाद्री खण्ड, लौंगवुड,
शिमला, हिमाचल प्रदेश 171001-

महोदय,

उपनिदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, हिमाचल प्रदेश, शिमला के पत्र संख्या डी.सी.ओ.एच.पी.26/2015-II दिनांक 31/07/2015 के प्रति निर्देश से, मैं उपनिदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, हिमाचल प्रदेश, शिमला को ,जो भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से कार्य कर रहें हैं सरकारी कार्य के लिए टैक्सी इत्यादि उपलब्ध करवाने के लिए निम्नलिखित दर कोट करता हूं

Non AC Vehicle						
Sl. No.	Model of Vehicle	Rate Per Km. (Rs.)	Rate Per Hour (Rs.)	Night Halting Charges (Per Night)	Waiting Charges (Per Hr.)	Remarks
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Scorpio					
.2	Indica					
3.	Indigo .					
4.	Alto					
5.	Others if any					

AC Vehicle						
Sl. No.	Model of Vehicle	Rate Per Km.(Rs.)	Rate Per Hour (Rs.)	Night Halting Charges (Per Night)	Waiting Charges (Per Hr.)	Remarks
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Indica					
2.	innova					
3.	Tavera					
4.	Scorpio					
5.	Others if any					

नोट : दरें सभी करों /वैट इत्यादि से सम्मिलित होनी चाहिए । Non AC Vehicle व AC Vehicle दोनों हेतु कॉलम संख्या 3 से 6 तक स्पष्ट जानकारी भरना अनिवार्य है।

मैनें निविदाकारों के लिए अनुदेशों और संविदा की साधारण शर्तो को तथा उस पत्र में जिसके प्रत्युत्तर में यह निविदा प्रस्तुत की जा रही है उल्लिखित निबंधनों और शर्तो को भी ध्यानपूर्वक पढ़ और समझ लिया है और में उपयुक्त दस्तावेजों में अंतर्विष्ट उपबन्धों से आबध्द होने के लिए सहमत हूँ ।

दिनांक .....: निविदाकार के नाम .....:

स्थान .....निविदाकार के हस्ताक्षर.....